	1	2	3
(ख)	ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम	0.25	0.36
(ग)	गन्दी बस्ती हटाओ सुधार योजना	0.04	0.81
	जोड़ :—	4.29	4.31

2. 1969-70 से आरम्भ होने वाली चौथी पंच-वर्षीय योजना के दौरान राज्य सरकारों को राज्य क्षेत्र के सभी कार्यक्रमों (आवास और नगर-विकास सहित) के लिए केन्द्रीय सहायता इकट्ठी "खण्ड ऋणों" और "खण्ड अनुदानों" के रूप में दी जा रही है, जो किसी विशेष विकास शीर्ष या कार्यक्रम से सम्बद्ध नही है। राज्य सरकारों को राज्य क्षेत्र के विभिन्न कार्यक्रमों (आवास और नगर-विकास) के लिए अपनी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार किसी भी राशि को नियतन करने की पूरी स्वतन्त्रता है। अत: 1969-70 मे राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न आवास योजनाओं के अधीन उपयोग मे लाए गए अनुदान के आंकड़े उपलब्ध नही है।

(ग) और (घ) ऊपर कही गई चार योजनाओं के बारे में औद्योगिक कर्मचारियो आदि के लिए एकीकृत सहायता प्राप्त आवास योजना के बारे में ही केवल अनियमितता नोटिस में आई है। इस योजना के अन्तर्गत बिहार सरकार द्वारा बनाए गए कुल 6,351 मकानों में से 338 मकानों की अपात्र व्यक्तियों के दखल में होने की सूचना मिली है। राज्य सरकार पर इन मकानों को खाली कर पात्र कर्मचारियों को आवंटन करने के लिए निरन्तर दबाव डाला जा रहा है।

गन्दी बस्तियों को हटाने हेतु राज्य सरकारों को अनुदान

16. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गन्दी बस्तियों को हटाने के लिए कोई योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारो को इस कार्य के लिए अनुदान भी देती है ; यदि हा, तो वर्ष 1967 से 1970 तक विभिन्न राज्य सरकारों को दिए गए वार्षिक अनुदानों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या अनेक राज्यो सरकारो ने उक्त राशि का उपयोग नही किया है, यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या है और अप्रयुक्त राशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या कुछ राज्य सरकारो ने मांग की है कि इस उद्देश्य के लिए अनुदानो को बढाकर शत-प्रतिशत कर दिया जाए, और

(ङ) यदि हा, तो इस बारे मे सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) गन्दी बस्ती हटाओ/सुधार योजना 1956 में भारत सरकार द्वारा आरम्भ की गई थी। इस योजना में, जोकि राज्य/संघ क्षेत्र सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, निम्न व्यवस्था है :

(i) गन्दी बस्ती क्षेत्रों का अर्जन तथा गन्दी बस्ती क्षेत्रों में रह रहे उन परिवारों का, जिनकी आय 350 रुपये प्रतिमास से अधिक नहीं है, सम्बन्धित गन्दी बस्ती निवासियों की किराया अदा करने की क्षमता के अनुसार,

छोटे/नियमित दो कमरों वाले टेनमेंट, शयन घर, स्केलेटन मकान, खुले विकासित प्लाटों आदि में पुन: बसाना ।

(ii) वर्तमान गन्दी बस्तियों के वातावरण की स्थिति में सुधार (जैसे गालियों मे खड़ंजे लगाना, डब्ल्यू० सी०, पानी की सप्लाई, सड़कों की बिजली तथा नालियो की व्यवस्था) ; तथा

(iii) रात्रि के शयनगृहों का निर्माण (नाम मात्र दाम पर पटरी पर रहने वालो को शयन-वास उपलब्ध करना) । यह योजना, राज्य सरकारों को, परियोजनाओं की अनुमोदित लागत का 87½ प्रतिशत तक (50 प्रतिशत ऋण के रूप मे तथा 37½ प्रतिशत सहायता के रूप में) वित्तीय सहायता के अनुदान की व्यवस्था करती है; शेष 12½ प्रतिशत की व्यवस्था, राज्यों/स्थानीय निकायो द्वारा अपनी सहायता के भाग के रूप में की जानी है ।

(ख) और (ग). योजना मार्च, 1969 के अन्त तक, केन्द्रीय क्षेत्र मे थी । राष्ट्रीय विकास परिषद् के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, योजना 1 अप्रैल, 1969 से, राज्य क्षेत्र को हस्तान्तरित कर दी गई । राज्य क्षेत्र में सभी विकास कार्यक्रमों, जिसमें गन्दी बस्ती हटाओ योजना शामिल है, के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता, अब "खण्ड ऋणों" और "खण्ड अनुदानों" के रूप में दी जा रही है । राज्य सरकारें, विभिन्न योजनाओं के लिए, उन द्वारा निर्धारित, आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार निधियों को नियत करने में स्वतन्त्र हैं ।

उपलब्ध सूचना के अनुसार, विभिन्न राज्यों आदि को किए गए नियतन तथा योजना के अन्तर्गत, 1 अप्रैल, 1967 से 31 मार्च, 1969 तक किया गया व्यय, विवरण में दे दिया गया है । जो सभा पटल पर रख दिया गया है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या** L.T.—42/71.] व्यय में कमी, तथा परिणामत: राशि लिए जाने का कारण यह है कि राज्य सरकारों द्वारा "आवास" को प्राय: निम्न प्राथमिकता दी जाती है ।

(घ) और (ङ). प्रश्न ही नही उठता क्योंकि योजना अब राज्य क्षेत्र में है तथा यह राज्य सरकारों पर निर्भर है कि वे इस योजना के लिए, 'खण्ड ऋणों" और 'खण्ड अनुदानो" के रूप में उन्हे दी गई केन्द्रीय सहायता मे से जितना अधिक सम्भव हो सके, उपलब्ध करे ।

Import of Crude Oil

17. SHRI RAJA KULKARNI :
SHRI R. R. SINGH DEO :
SHRI N. K. SANGHI :

Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND NON-FERROUS METALS be pleased to state :

(a) whether Government have agreed to give increased prices for imported crude to the foreign oil companies ; if so, to what extent and the total additional burden upon the country on this account ;

(b) how much crude oil has been imported into our country during the year 1970 and the total import bill for the same ; and

(c) whether any attempt has been made by our Government for importing crude on Government to Government basis from crude-producing countries in the Middle East and if so, the results thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS AND NON-FERROUS METALS